एस.एस.राणा

बनाम

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ व अन्य

सिविल अपील संख्या 6052/2004

(न्यायाधिपति एस.बी सिन्ही और न्यायाधिपति पी.पी.नाओलेकर)

निर्णय की दिनांक 25/04/2006

भारत का संविधान-अनुच्छेद 12-हिमाचल प्रदेश सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 1968-धारा, 31, 34 और 35-बी और 36-हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1971-नियम 56---सी के खिलाफ समाप्ति का आदेश पारित किया गया। अपराधी कर्मचारी द्वारा उच्च न्यायालय-रिट के समक्ष रिट याचिका सहकारी बैंक को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी गई। राज्य-शुद्धता के अधीन नहीं, एक सहकारी बैंक के नियम अधिनियम अपनी गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं बनाता है, तथ्य यह है कि सहकारी बैंक किसी क़ानून के तहत नहीं बनाया गया है-राज्य नहीं बनाता है। बैंक पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखें-इसलिए, बैंक राज्य का अपराधी कमर्चारी नहीं है। राज्य-अपराधी कर्मचारी ने किसी भी प्रावधान का उल्लंघन साबित नहीं किया है। समाप्ति का आदेश पारित करने में बैंक द्वारा अधिनियम -इसलिए, आदेश समाप्ति को बरकरार रखा गया।

प्रतिवादी-सहकारी बैंक ने कंगड़ा सहकारी बैंक के नियम 56(बी) के तहत अपीलकर्त्ता, जो शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्यरत था, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। कर्मचारी (रोजगार की शर्तें और काम करने की स्थिति) नियम 1980 हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 की धारा 35-बी (4) के साथ पठित। अपीलकर्त्ता को दोषी पाया गया और उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। अपीलकर्त्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा दायर रिट-याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सहकारी बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं है।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-सहकारी बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' है, क्योंकि इसकी गतिविधियाँ कृषकों को धन उधार देना है, कि उत्तरदाताओं में नियमों और अधिनियम के तहत आवश्यक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया और बर्खास्तगी का आदेश नियमों के प्रावधानों का उल्लंधन है, क्योंकि जाँच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि सहकारी बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' नहीं है और राज्य का सोसायटी के मामलों पर कोई व्यापक नियंत्रण नहीं है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. प्रतिवादी सहकारी बैंक किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया है। इसके कार्य, किसी भी अन्य सहकारी समिति की तरह, मुख्य रूप से इसके उपनियमों में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होते है। बैंक के कार्यों में राज्य का कोई दखल नहीं है। सदस्यता, शेयरों का अधिग्रहण और अन्य सभी मामले अधिनियम के तहत बनाए गए बैंक के उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1971 के नियम 56 में कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिसके तहत सोसायटी के किसी अधिकारी को कोई कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। [321-जी, 322-ए]

1.2. ऐसा नहीं दिखाया गया है कि राज्य सोसायटी के मामलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। राज्य बहुसंख्यक शेयरधारक नहीं है। राज्य के पास केवल एक निदेशक को नामांकित करने की शक्ति है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सोसायटी के मामलों पर कोई कार्यात्मक नियंत्रण रखता है, इस अर्थ में कि अधिकांश निदेशक राज्य द्वारा नामित होते है। किसी अधिनियम के तहत सामान्य नियम, जैसे कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम, किसी कंपनी या सोसायटी की गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं करेंगे।

अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में इस तरह के नियंत्रण का उद्येश्य सोसायटी की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है और राज्य या वैधानिक अधिकारियों को इसके दिन--प्रतिदिन के कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादी-बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य है, जैसा कि यह नहीं दर्शाया गया है कि अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त करने में प्रतिवादी ने अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। [322-ए, बी, ई, एफ; 324-बी; 325-एफ]

सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान और अन्य,(2002) 5 एससीसी 111; अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी, (1981) 1 एससीसी पेज 722; पारसी कूप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड बनाम जिला रजिस्ट्रार, सहकारी. सोसायटी (शहरी) और अन्य, (2005) 5 एससीसी 632; सभाजीत तिवारी बनाम यूनियन ऑफ भारत और अन्य (1975) 1 एससीसी 485; गायत्री देव बनाम सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य, (2004) 5 एससीसी 90; उत्तरप्रदेश राज्य राज्य सहकारी भूमि डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड बनाम चंद्रभान दुबे और अन्य, (1999) 1 एससीसी 741; राम सहन राय बनाम साची समान्य प्रबंधक और अन्य (2004) 3 एससीसी 323; नयागढ़ सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम नारायण रथ

और अन्य (1977) 3 एससीसी 576 और भोलानाथ रॉय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए अन्य, (1976) वॉल्यूम। 502, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 6052/2004

उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 331/1996 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 06.06.2003 से।

सर्वश्री विजय कुमार, श्री अतुल शन्ना और मूयरी वत्स अधिवक्तागण, श्री विश्वजीत सिंह अपीलकर्त्ता की और से।

सर्वश्री जे.एस.अत्री व जोधसिंह मेहता, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

न्यायाधिपति--याचिकाकर्ता कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 2, "सोसाइटी") में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी (रोजगार की शर्तें और काम करने की स्थिति) नियम, 1980 (संक्षेप में "नियम") की धारा 35 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 56 (बी) के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। -हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 (संक्षेप में "अधिनियम") का बी(4)। इसमें उन्हें दोषी पाया गया. सोसायटी के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 18.11.1993 के एक आदेश द्वारा, नियमों के परिशिष्ट 1(ए) के नियम 2(पी) के तहत

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। इस बीच, राज्य द्वारा अपने मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता ने 2.12.1993 को प्रशासक के समक्ष अपनी सेवाएं समाप्त करने वाले उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की। हालाँकि, प्रशासक के पास उक्त अपील से निपटने का कोई अवसर नहीं था। दिनांक 18.11.1995 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 के निदेशक मंडल ने उक्त अपील को खारिज कर दिया। 30 सितम्बर, 1996 को वह सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुँच गये।

अपीलकर्ता ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 18.11.1995 के समाप्ति आदेश और अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 16.1.1996 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई। उन्होंने सजा के उक्त आदेश को रद्द करने के लिए या उसके अनुसरण में सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।

अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका इस आधार पर थी कि पहला प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 6.6.2003 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के आधार पर उक्त रिट याचिका को यह कहते

हुए खारिज कर दिया कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता हमारे सामने है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विजय कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर त्रुटि की है कि प्रतिवादी नंबर 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, सहकारी समिति की गतिविधियाँ कृषकों को धन उधार देने की हैं, जो प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान और अन्य,(2002) 5 एससीसी 111 में न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में आएंगी। आगे यह तर्क दिया गया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रतिवादी नंबर 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य था। यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आदेश नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी, यह पूरी तरह से टिकाऊ नहीं था।

दूसरी ओर श्री जे.एस.अत्री, हिमाचल प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता अत्री, ने फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य का सोसायटी के मामलों पर गहरा और व्यापक नियंत्रण था। यह बताया गया कि बोर्ड में तीन निदेशकों में से,

राज्य केवल एक की नियुक्ति कर सकता है। सभी मामलों में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होता है। सहकारी समिति में राज्य की सदस्यता सीमित थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य की विधायिका ने हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया; इसके कुछ प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

> "31. सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकार:- सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकार सामान्य बैठक में सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा: बशर्ते कि जहां एक सहकारी समिति के उपनियम एक छोटे निकाय के गठन का प्रावधान करते हैं, जिसमें ऐसे उपनियमों के अनुसार चुने गए या चुने गए समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, छोटा निकाय सामान्य निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। निर्धारित किया जा सकता है या जैसा कि सोसायटी के उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है
>
> 34. प्रबंध समिति:- प्रत्येक सोसायटी का प्रबंधन नियमों और उपनियमों के अनुसार गठित एक प्रबंध समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे

कर्तव्यों का पालन करेगी जो इसके द्वारा क्रमशः प्रदत्त या लगाए जा सकते हैं। अधिनियम, नियम और उपनियम.

35-बी. प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य:- (1) जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या उससे अधिक की सीमा तक सदस्यता ली है, सरकार, उपनियमों में किसी भी बात के बावजूद, सोसायटी, धारा 35 के तहत नामांकित सदस्यों के अलावा एक अन्य सदस्य को नामांकित करती है और उसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है:

(1)बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का सदस्य या सहकारी विभाग का प्रथम श्रेणी अधिकारी न हो, सिवाय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी समिति के ऑपरेटिव भूमि विकास बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ जहां तकनीकी व्यक्तियों को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नामित और नियुक्त व्यक्ति समिति का पदेन सदस्य होगा और राज्य

सरकार की मर्जी तक पद पर रहेगा और उसे समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा। समिति को वोट देने का अधिकार भी होगा।

(3) उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे उपनियमों के तहत सौंपी गई हैं या समिति द्वारा उसे सौंपी गई हैं। वह उपनियमों के अनुरूप या समिति द्वारा उसे सौंपे गए सभी कार्यों का निर्वहन करेगा। वह उपनियमों के अनुरूप ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करेगा, जो सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा उसे सौंपे गए हैं। वह समिति के अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(4) किसी सहकारी समिति का प्रबंध निदेशक उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा। सोसायटी के सभी कर्मचारी उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(5) उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक को सोसायटी में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उसके वेतन और भत्ते का भुगतान सोसायटी के फंड से किया जाएगा।

36. किसी सहकारी समिति के मामलों के प्रबंधन के लिए सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने की शक्तियाँ:- राज्य सरकार, किसी समिति के आवेदन पर और ऐसी शर्तों पर, जो निर्धारित की जा सकती हैं, एक सरकारी कर्मचारी को समिति की सेवा में नियुक्त कर सकती है। इसके मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से और इस प्रकार प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

70. दस्तावेजों तक पहुंच: - रजिस्ट्रार और, निर्धारित किसी भी प्रतिबंध के अधीन, एक लेखा परीक्षक, मध्यस्थ या पर्यवेक्षण या निरीक्षण या ऑडिट या पूछताछ करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभी उचित समय पर पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों तक मुफ्त पहुंच होगी। नकद और अन्य संपत्तियाँ, जो किसी सोसायटी से संबंधित हैं या उसकी हिरासत में हैं।"

उक्त अधिनियम में निहित नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, राज्य ने नियम बनाए जिन्हें हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1971 के रूप में जाना जाता है, जिनमें से कुछ इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। नियम इस प्रकार हैं:

"38. प्रबंध समिति का गठन (1) किसी कंपनी की प्रबंध समिति-

(1) ऑपरेटिव सोसायटी का गठन निम्न द्वारा किया जाएगा:-

(ए) वार्षिक/विशेष आम बैठक में सोसायटी के सदस्यों में से चुनाव;

(बी) नियम 39 में दिए गए तरीके से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्ति;

(सी) अधिनियम की धारा 35 के तहत सरकार के नामांकित व्यक्ति; और

(डी) अन्य सह के नामांकित व्यक्ति- ऑपरेटिव सोसायटी जैसा कि उपनियमों में प्रावधानित है।

(2) सोसायटी की प्रबंध समिति में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सहित न तो पांच से कम और न ही इक्कीस से अधिक सदस्य होंगे, जैसा कि उपनियमों में तय किया जा सकता है।

(3) उपनियम (1) के तहत गठित प्रबंध समितियों की शर्तें होंगी-

(ए) के संबंध में प्राथमिक सोसायटी 2 वर्ष;

(बी) के संबंध में माध्यमिक सोसायटी 3 वर्ष; और

(सी) शीर्ष के संबंध में सोसायटी 4 वर्ष;"

बशर्ते कि आउटगोइंग प्रबंध समिति, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, इन नियमों के तहत एक और प्रबंध समिति गठित होने तक कार्य करना जारी रखेगी;

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या निर्वाचित सदस्य का पद लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि प्रबंध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए। वह अंतिम बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या निर्वाचित सदस्य का पद धारण करता है।

(4) समिति, यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऐसे अन्य अधिकारियों का चुनाव करेगी जो उपनियमों में निर्दिष्ट हैं, जब तक कि वे आम बैठक द्वारा ऐसे चुनाव का प्रावधान नहीं करते।

(5) निर्वाचित सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति प्रबंध समिति द्वारा सोसायटी के सदस्यों में से सह-विकल्प द्वारा भरी जाएगी। इस प्रकार सहयोजित प्रबंध समिति का सदस्य किसी सोसायटी की समिति की सदस्यता के लिए नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेगा और 90

दिनों के भीतर या अगली वार्षिक आम बैठक में, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त हो जाएगा, और इस प्रकार होने वाली रिक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसी बैठक में प्रबंध समिति के उस सदस्य के चुनाव द्वारा भरा जाएगा जिसके स्थान पर वह मूल रूप से आया था।

(6) किसी सदस्य या अधिकारी की समिति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 72 के तहत रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

39. रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंध समिति के सदस्य की नियुक्ति

(1) उपनियमों में निर्धारित किसी भी सीमा के बावजूद, उचित हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रजिस्ट्रार के पास प्रबंध समिति के लिए अतिरिक्त संख्या में सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो इससे अधिक नहीं होगी। निर्वाचित सदस्य की संख्या का एक तिहाई:

बशर्ते कि नियम 38 के उप-नियम (1) के खंड (ए) (बी), (सी) और (डी) के तहत नियुक्त या नामांकित और निर्वाचित समिति सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। नियम 38 का उपनियम (2)

1. (1-ए) उप-नियम (1) के तहत नियुक्त व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति होगा, एक अनुसूचित जनजाति से होगा

और शेष, यदि कोई हो, महिलाओं के हितों सहित अन्य उचित हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। जब तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित और अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक सदस्य पहले से ही ऐसी समिति में निर्वाचित न हो।

2. (2) उप-नियम (1) और (1-ए) के तहत नियुक्त सदस्य प्रबंध समिति के अगले चुनाव तक या उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे और उन्हें पद पर बने रहेंगे। मत देने का अधिकार। रजिस्ट्रार या तो समिति में उनकी सदस्यता की पुष्टि करेगा या समिति के अगले कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा।

(3) इस नियम के तहत नियुक्त प्रबंध समिति के सदस्य सोसायटी के सदस्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास सह-सदस्यता के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। ऑपरेटिव सोसायटी और प्रबंध समिति.

(4) यदि प्रबंध समिति में नियुक्त सदस्य का पद रिक्त होता है तो रिक्ति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, न कि सह-विकल्प द्वारा।

नियम रजिस्ट्रार को समिति में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले कुछ उचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसायटी की प्रबंध समिति में

नियुक्तियाँ करने का अधिकार देता है। इस नियम के तहत की गई नियुक्तियाँ नियम संख्या 38 के उप-नियम 2 के तहत निहित प्रावधानों के अधीन होंगी।

40.समिति के गठन के लिए व्यक्तियों और समाजों का अनुपात - एक सहकारी समिति में, जिसकी सदस्यता विशेष रूप से व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, समिति और सामान्य निकाय में व्यक्तियों और समाजों का प्रतिनिधित्व वैसा ही होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। सहकारी समिति के उपनियम

50. प्रबंध समिति के कर्तव्य प्रबंध समिति अपने सभी लेनदेन में अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों का पालन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी;

(ए) धन प्राप्त करना और वितरित करना;

(बी) प्राप्त और खर्च किए गए धन का सही लेखा-जोखा, और संपत्ति और देनदारियों का लेखा-जोखा रखना;

(सी) वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत करने की तैयारी के लिए

(1) प्राप्ति और संवितरण विवरण;

(2) बैलेंस शीट;

(3) व्यापार और लाभ-हानि खाता;

(4) लाभ का विनियोग;

(डी) ऑडिट के लिए आवश्यक खातों के विवरण तैयार करना और उन्हें ऑडिटर के समक्ष रखना;

(ई) रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित सभी विवरण और रिटर्न को ऐसे प्रारूप में तैयार करना और जमा करनाजैसा वह निर्देश दे;

(च) सोसायटी के खातों को नियमित रूप से और समय-समय पर उचित पुस्तकों में दर्ज करना;

(छ) सदस्यों का अद्यतन रजिस्टर बनाए रखना;

(ज) सोसायटी की पुस्तकों के निरीक्षण और खातों के ऑडिट की सुविधा उन लोगों द्वारा प्रदान करना जो उनका निरीक्षण/ऑडिट करने के हकदार हैं;

(i) सामान्य बैठकें बुलाना;

(जे) नियत समय में वार्षिक आम बैठक बुलाना;

(के) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण और अग्रिम उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनके लिए वे दिए गए हैं, और उन्हें समय पर चुकाया जाता है;

(एल) ऋणों और अग्रिमों के पुनर्भुगतान में सभी बकाया और चूक के मामलों की जांच करना और त्वरित कार्रवाई करना;

(एम) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आम बैठक द्वारा सौंपे जा सकते हैं; और

(एन) सामान्य तौर पर सोसायटी के व्यवसाय को उसके उपनियमों के अनुसार चलाना।

56. सहकारी समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी -

(1) किसी सोसायटी के उपनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई सह-ऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को सेवा की किसी भी श्रेणी में अपने वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियुक्त करेगी, जब तक कि उसके पास योग्यता न हो और वह सोसायटी में सेवा की ऐसी श्रेणी के लिए समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा प्रदान न करे। समाज का वह वर्ग जिससे वह संबंधित है। सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) कोई भी सहकारी समिति किसी भी वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा में नहीं रखेगी, यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित समय के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट योग्यता हासिल नहीं करता है या सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

(3) कोई भी सहकारी समिति रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना 'एक हजार' रुपये से अधिक की कुल मासिक परिलब्धियों वाले वेतनभोगी

अधिकारी या नौकर को नियोजित नहीं करेगी। किसी कर्मचारी की उच्च पद पर पदोन्नति को इस उप-नियम के तहत नियुक्ति माना जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से किसी भी वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में छूट दे सकता है। इस नियम के प्रावधान उसके पास होनी चाहिए योग्यताओं या उसे दी जाने वाली सुरक्षा के संबंध में हैं।

(5) "जहां, धारा 61 के तहत एक ऑडिट के दौरान, या धारा 65 के तहत एक निरीक्षण या धारा 66 के तहत एक निरीक्षण, या धारा 67 के तहत एक जांच के दौरान, यह रजिस्ट्रार के ध्यान में लाया जाता है कि वेतनभोगी अधिकारी या सोसायटी के सेवक ने सोसायटी के संबंध में गलत-विनियोग, विश्वास का उल्लंघन या अन्य अपराध किया है, या उसके लिए अन्यथा जिम्मेदार रहा है, या जानबूझकर अधिनियम, नियमों या नियमों के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने में उपेक्षा की है या विफल रहा है। उपनियम या अन्यथा किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जिम्मेदार है जिससे समाज के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, रजिस्ट्रार यदि उसकी राय में वेतनभोगी अधिकारी या सेवक के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है, और ऐसे वेतनभोगी अधिकारी या सेवक का निलंबन आवश्यक है समाज के हित में, मामले की जांच और निपटान लंबित रहने तक, जैसा भी मामला हो, समाज की समिति को ऐसे वेतनभोगी अधिकारी

या सेवक को ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने का निर्देश दें। उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है.

(6) उप-नियम (5) के तहत रजिस्ट्रार से एक निर्देश प्राप्त होने पर, सोसायटी की समिति उप- कानूनों में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, वेतनभोगी अधिकारी या नौकर को तुरंत निलंबित कर देगी या कर देगी।

(7) यदि समिति उप-नियम (5) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो रजिस्ट्रार ऐसे वेतनभोगी अधिकारी या सेवक को ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश दे सकता है जो वह आदेश में निर्दिष्ट कर सकता है और इसके बाद वेतनभोगी अधिकारी या नौकर, जैसा भी मामला हो, निलंबित कर दिया जाएगा।

(8) इस नियम के तहत निलंबित अधिकारी या सेवक को रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बाद ही बहाल किया जाएगा।

प्रतिवादी नंबर 1-सहकारी सोसायटी ने भी नियम 2(सी) के संदर्भ में अपने उपनियम बनाए, जिसमें बोर्ड का मतलब बैंक या प्रबंध समिति के सभी निदेशकों से होगा।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि सोसायटी का गठन किसी अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। किसी भी अन्य सहकारी समिति की तरह

इसके कार्यों को मुख्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, सिवाय सोसायटी के उपनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार। सोसायटी के कार्यों में राज्य का कोई दखल नहीं है। सदस्यता, शेयरों का अधिग्रहण और अन्य सभी मामले अधिनियम के तहत बनाए गए उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। सहकारी समिति के एक अधिकारी के नियम और शर्तें निर्विवाद रूप से नियमों द्वारा शासित होती हैं। नियम 56, जिसका संदर्भ श्री विजय कुमार ने दिया है, में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सोसायटी के किसी अधिकारी को कोई कानूनी अधिकार प्रदान किया गया हो।

हमारे सामने यह नहीं दिखाया गया है कि राज्य गहरे और व्यापक नियंत्रण के लिए समाज के मामलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। इसके अलावा राज्य बहुसंख्यक शेयरधारक नहीं है। राज्य के पास केवल एक निदेशक को नामांकित करने की शक्ति है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सोसायटी के मामलों पर कोई कार्यात्मक नियंत्रण रखता है, इस अर्थ में कि अधिकांश निदेशक राज्य द्वारा नामित होते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि राज्य का सोसायटी पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है, कई अन्य प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है, अर्थात्: (1) सोसायटी का निर्माण कैसे हुआ?; (2) क्या यह किसी एकाधिकार चरित्र का आनंद लेता है?; (3) क्या सोसायटी के कार्य

वैधानिक कार्यों या सार्वजनिक कार्यों में शामिल होते हैं?; और (4) क्या इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है?

प्रतिवादी नंबर 1-सोसाइटी उपर्युक्त किसी भी परीक्षण का उत्तर नहीं देती है। एक गैर-वैधानिक समाज के मामले में, उस पर नियंत्रण का मतलब यह होगा कि वह अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी [(1981) 1 एससीसी 722] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को पूरा करता है। पारसी कूप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड बनाम जिला रजिस्ट्रार, सहकारी. सोसायटी (शहरी) और अन्य, (2005) 5 एससीसी 632; का उल्लेख किया गया।

यह अच्छी तरह से तय है कि किसी अधिनियम के तहत सामान्य नियम, जैसे कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम, किसी कंपनी या समाज की गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं करेंगे। अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में इस तरह के नियंत्रण का उद्देश्य सोसायटी के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना है और राज्य या वैधानिक अधिकारियों का इसके दैनिक कार्यों से कोई लेना-देना नहीं होगा।

प्रदीप कुमार विश्वास (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर, जिस पर मजबूत भरोसा जताया गया है, वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है। उस मामले में, बेंच एक प्रश्न पर निर्णय दे रही थी कि क्या इस न्यायालय के बाद के निर्णयों को ध्यान

में रखते हुए, सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य में कानून सही ढंग से निर्धारित किया गया था। सभाजीत तिवारी बनाम यूनियन ऑफ भारत और अन्य (1975) 1 एससीसी 485 वाले मामले में बहुमत की राय थी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' था। इस न्यायालय ने इसके गठन के इतिहास, इसके उद्देश्यों और कार्यों, इसके प्रबंधन और नियंत्रण के साथ-साथ इसे प्राप्त वित्तीय सहायता की सीमा पर भी ध्यान दिया। उक्त तथ्य के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक उचित अधिसूचना के कारण यह देखा गया कि सीएसआईआर प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 (2) के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी था। उपर्युक्त आधार पर इस न्यायालय ने राय दी कि सभाजीत तिवारी (सुप्रा) ने सही कानून नहीं बनाया। इस न्यायालय ने अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी [(1981) 1 एससीसी 722] में निर्धारित निम्नलिखित छह परीक्षणों को दोहराया:

> "(1) एक बात स्पष्ट है कि यदि निगम की संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है, तो इससे यह संकेत मिलेगा कि निगम सरकार की एक संस्था या एजेंसी है।

(2) जहां राज्य की वित्तीय सहायता इतनी है कि निगम के लगभग पूरे खर्च को पूरा किया जा सकता है, इससे निगम के सरकारी चरित्र से ओत-प्रोत होने का कुछ संकेत मिलेगा।

(3) यह भी प्रासंगिक कारक हो सकता है..क्या निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है या राज्य द्वारा संरक्षित है।

(4) गहरे और व्यापक राज्य नियंत्रण के अस्तित्व से यह संकेत मिल सकता है कि निगम एक राज्य एजेंसी या साधन है।

(5) यदि निगम के कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं और सरकारी कार्यों से निकटता से संबंधित हैं, तो यह निगम को सरकार की एक संस्था या एजेंसी के रूप में वर्गीकृत करने में एक प्रासंगिक कारक होगा।

(6) 'विशेष रूप से, यदि सरकार का कोई विभाग किसी निगम को हस्तांतरित किया जाता है, तो यह निगम के सरकार का एक साधन या एजेंसी होने के इस अनुमान का समर्थन करने वाला एक मजबूत कारक होगा।''

इस न्यायालय ने आगे कहा:

"यह तस्वीर जो अंततः उभरती है वह यह है कि अजय हसिया में तैयार किए गए परीक्षण सिद्धांतों का एक कठोर सेट नहीं हैं, ताकि यदि कोई संस्था उनमें से किसी एक के अंतर्गत आता है, तो उसे, पूर्व परिकल्पना, अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य माना जाना चाहिए प्रत्येक मामले में सवाल यह होगा कि क्या स्थापित संचयी तथ्यों के आलोक में, निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व में है या उसके नियंत्रण में है। ऐसा नियंत्रण संबंधित निकाय के लिए विशेष होना चाहिए और होना चाहिए व्यापक। यदि यह पाया जाता है तो निकाय अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है। दूसरी ओर, जब नियंत्रण केवल नियामक है, चाहे क़ानून के तहत या अन्यथा, यह निकाय को एक राज्य बनाने में काम नहीं आएगा।"

चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 प्रदीप कुमार विश्वास (सुप्रा) में निर्धारित किसी भी परीक्षण को पूरा नहीं करता है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि की है। प्रतिवादी-बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एक राज्य नहीं है।

हालाँकि, हम गायत्री देव बनाम सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य, (2004) 5 एससीसी 90 वाले प्रकरण से अनभिज्ञ नहीं है, जिसमें इस न्यायालय ने समिति के खिलाफ रिट याचिका को यह कहते हुए सुनवाई योग्य माना।

> "हमने, उपरोक्त पैराग्राफ में, रिट याचिका की पोषणीयता के प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में दिए गए निर्णयों पर विचार किया है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय तथ्यों और कानून के आधार पर अलग-अलग हैं। वे मामले इसके अंतर्गत आने वाले मामले नहीं हैं। सोसायटी के प्रशासन और उसके मामलों के प्रबंधन के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति। वर्तमान मामले में, विशेष अधिकारी को सोसायटी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए, उसे एक सार्वजनिक प्राधिकारी माना जाना चाहिए और इसलिए, रिट याचिका सुनवाई योग्य है।"

इसलिए, उक्त निर्णय से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी।

हमारा ध्यान उत्तरप्रदेश राज्य राज्य सहकारी भूमि डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड बनाम चंद्रभान दुबे और अन्य, (1999) 1 एससीसी 741 की ओर भी गया, जिसमें रिट याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर विचारणीय

माना गया था कि यह एक अधिनियम के तहत बनाई गई थी। राम सहन राय बनाम सचिव समान्य प्रबंधक एवं अन्य पर भी भरोसा जताया गया है। [(2001) 3 एससीसी 323], जिसमें फिर से अपीलकर्ता को यूपी के तहत गठित सोसायटी में भर्ती किया गया था। सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 और इस न्यायालय ने नियमों, उपनियमों और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों की जांच की, यह दृढ़ राय थी कि राज्य सरकार बैंक पर व्यापक नियंत्रण रखती है और इसके अलावा इसके कर्मचारी वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। अपराधी को कारण बताओ और सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद, उचित दंड देने के लिए आरोपों का एक सेट तैयार करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला निर्धारित करना।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि राम सहन राय (सुप्रा) में भी सहकारी समिति की स्थापना एक क़ानून के तहत की गई थी। हम देख सकते हैं कि नयागढ़ सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड और अन्य में, बनाम नारायण रथ और अन्य। [(1977) 3 एससीसी 576], इस न्यायालय की राय थी कि:

> "उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया है कि क्या एक सहकारी समिति के खिलाफ रिट याचिका कायम रखी जा सकती है, लेकिन हम इस विचार से सहमत हैं कि उच्च

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ और उसका निर्णय कि ऐसी रिट याचिका सुनवाई योग्य है, सख्ती से लागू नहीं होती है इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार। हम स्वयं इस प्रश्न पर विचार करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करना अनावश्यक है क्योंकि प्रतिवादी 1 अपनी रिट याचिका द्वारा, वास्तव में एक सहकारी समिति के खिलाफ नहीं बल्कि इसके संबंध में राहत मांग रहा था। आदेश जो रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया था, जो सहकारी सोसायटी अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के कथित अभ्यास में एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। रिट याचिका इस दृष्टि से विचारणीय थी।"

हम कुछ निर्णयों में देख सकते हैं कि कुछ उच्च न्यायालयों ने कहा है कि एक रिट याचिका किसी समाज के खिलाफ सुनवाई योग्य होगी यदि यह प्रदर्शित होता है कि अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया गया है। भोलानाथ रॉय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए अन्य, (1976) वॉल्यूम। 502 वाले मामले में सोसायटी किसी क़ानून के तहत नहीं बनाई गई है। यह पहले नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में, प्रतिवादी ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी

अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है। दरअसल, रिट याचिका में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया था।

उपरोक्त कारणों से, अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सागर माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।